



## कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क. / स्टे.आयु. / एफ-169 / 2019-20 / 3654  
// आदेश //

भिलाई, दिनांक 18/03/2020

पूर्व जारी आदेश में संशोधन करते हुये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की धारा-80 के अंतर्गत आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु श्री तरुणपाल लहरे, उपायुक्त को राजस्व एवं संपदा विभाग के प्रकरणों के लिये नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के भूखण्ड आबंटन के प्रकरणों के लिए नियमानुसार लीज नवीनीकरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड के पंजीयन हेतु लीजडीड में हस्ताक्षर करने के लिए, आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
(ऋतुराज रघुवंशी)  
आई.ए.एस.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई  
भिलाई, दिनांक 18/03/2020

पू.क. / निज सहा / एफ-169 / 2019-20 / 3655

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष महो., नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियंता, परियोजना/जलकार्य, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ
3. सर्व जोन आयुक्त जोन क. 1,2,3,4 एवं 5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. श्री तरुणपाल लहरे, राजस्व/संपदा/सम्पत्तिकर अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. संबंधित विभाग प्रमुख सि.ए. सिंह नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती एवं आदेश फाइल में रखे जाने हेतु अतिरिक्त प्रति के साथ।

  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई